



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112021-231215  
CG-DL-E-17112021-231215

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656]  
No. 656]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 805 (अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन कार्मिक तथा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610 (अ), तारीख 26 जुलाई, 1985 का निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में:-

(क) क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं	न्यायपीठ	न्यायपीठ का अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"18.	जम्मू न्यायपीठ	(i) जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, रियासी, पुंछ, राजौरी, रामबन, सांबा, उधमपुर जिले (ii) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लेह जिला";

(ख) क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं.	न्यायपीठ	न्यायपीठ का अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“19	श्रीनगर न्यायपीठ	(i) जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में श्रीनगर, अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपलान जिले (ii) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में कारगिल जिला”।

[फा. सं. पी.-13024/1/2019- प्र. अ.]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 26 जुलाई, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई --

1. सा. का. नि. संख्या 824 (अ) तारीख 31.10.1985;
2. सा. का. नि. संख्या 308 (अ) तारीख 20.02.1986;
3. सा. का. नि. संख्या 908 (अ) तारीख 25.06.1986;
4. सा. का. नि. संख्या 921 (अ) तारीख 27.06.1986;
5. सा. का. नि. संख्या 897 (अ) तारीख 01.09.1988;
6. सा. का. नि. संख्या 525 (अ) तारीख 12.08.1991;
7. सा. का. नि. संख्या 631 (अ) तारीख 15.10.1991;
8. सा. का. नि. संख्या 418 (अ) तारीख 09.04.1992;
9. सा. का. नि. संख्या 646 (अ) तारीख 18.08.1994;
10. सा. का. नि. संख्या 890 (अ) तारीख 23.11.2000;
11. सा. का. नि. संख्या 683 (अ) तारीख 23.09.2014,
12. सा. का. नि. संख्या 267 (अ) तारीख 29.04.2020, और
13. सा. का. नि. संख्या 318 (अ) तारीख 28.05.2020।

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2021

**G.S.R. 805(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pensions *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 26th July, 1985, namely :—

In the Table to the said notification, -

- (a) for serial number 18 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Bench	Jurisdiction of the Bench
(1)	(2)	(3)
“18.	Jammu Bench	(i) Districts of Doda, Jammu, Kathua, Kishtwar, Reasi, Poonch, Rajouri, Ramban, Samba, Udhampur in the Union territory of Jammu and Kashmir (ii) District of Leh in the Union territory of Ladakh” ;

(b) after serial number 18 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Bench	Jurisdiction of the Bench
(1)	(2)	(3)
“19.	Srinagar Bench	(i) Districts of Srinagar, Anantnag, Bandipora, Baramulla, Budgam, Ganderbal, Kulgam, Kupwara, Pulwama, Shoplan in the Union territory of Jammu and Kashmir (ii) District of Kargil in the Union territory of Ladakh”.

[F. No. P-13024/1/2019-AT]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 610(E), dated 26th July, 1985 and subsequently amended *vide*:

- (i) G.S.R. No. 824(E) dated 31.10.1985;
- (ii) G.S.R. No. 308(E) dated 20.02.1986;
- (iii) G.S.R. No. 908(E) dated 25.06.1986;
- (iv) G.S.R. No. 921(E) dated 27.06.1986;
- (v) G.S.R. No. 897(E) dated 01.09.1988;
- (vi) G.S.R. No. 525(E) dated 12.08.1991;
- (vii) G.S.R. No. 631(E) dated 15.10.1991;
- (viii) G.S.R. No. 418(E) dated 09.04.1992;
- (ix) G.S.R. No. 646(E) dated 18.08.1994;
- (x) G.S.R. No. 890(E) dated 23.11.2000;
- (xi) G.S.R. No. 683(E) dated 23.09.2014,
- (xii) G.S.R. No. 267(E) dated 29.04.2020, and
- (xiii) G.S.R. No. 318(E) dated 28.05.2020.